आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1(92)पीएस/निकाशि/13/पार्ट/209 दिनांक 27.10.20

समस्त प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान।

विषयः– राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम 1986 के तहत नियुक्त संकाय सदस्य के लिए आचार्य पद पर पदोन्नति हेतु (सीएएस योजनान्तर्गत)

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम 1986 के तहत नियुक्त संकाय सदस्य जो सह–आचार्य/उपाचार्य पद पर कार्यरत है के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 31.01.2018 के तहत सीएएस योजनान्तर्गत आचार्य पद पर पदोन्नति हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया के समयबद्व एवं सुव्यवस्थित क्रियान्वनयन हेतु महाविद्यालय स्तर पर सम्पादित की जाने वाली कार्यवाही निम्नानुसार रहेगीः–

1– आवेदन करने की प्रक्रियाः–

(अ) कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ1(06)DOP/A-II/84 दिनांक 31.01.2018 के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2018 , 01.04.2019 , 01.04.2020 को पात्र सह–आचार्य/उपाचार्य निर्धारित आवेदन पत्र में (विभागीय बेबसाईट पर डाउनलोडस में उपलब्ध) संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को दिनांक 11.11.2020 (बुधवार) तक तीन प्रतियों में स्पाईरल बाइन्ड (हार्ड बाउन्ड) करते हुए प्रस्तुत करें।

(ब) आवेदनकर्ता सह–आचार्य/उपाचार्य आवेदन पत्र में वांछित सूचनाएं तथा ए.पी.आई आधारित तीन कैटेगिरी में सूचनाएं (केवल देय अवधि की) भरकर नियमानुसार ए.पी.आई स्कोर का अंकन कर प्राचार्य को प्रेषित करेगें।

(स) आवेदन पत्र के सभी पृष्ठ एवं आवेदन पत्र के सभी संलग्नक आवेदक द्वारा स्वयं सत्यापित किए जाएंगें।

(द) आवेदनकर्ता द्वारा केवल पी.एचडी. का प्रमाण पत्र ही संलग्न किया जाना है। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता संबंधी व जाति संबंधी प्रमाण –पत्र/अंकतालिका संलग्न नहीं करें।

2– प्राप्त आवेदन पत्रों पर संबंधित महाविद्यालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

(अ) प्राचार्य यह सुनिश्चित करे कि अपने महाविद्यालय के पात्र सह–आचार्य/उपाचार्य से प्राप्त आवेदन पत्रों को जांच कर नोडल महाविद्यालय को दिनांक 18.11.2020 (बुधवार) तक अग्रेषित कर पहुंचाना सुनिश्चित करे। नोडल महाविद्यालयों की सूची संलग्न है। जिन महाविद्यालयों को नोडल महाविद्यालय आवंटित नही किए गए है, वे अपने आवेदन पत्र संलग्न सूची के किसी निकटतम महाविद्यालय में प्रेषित करें।

(ब) प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि जो भी आवेदक आचार्य पद के लिए नियमानुसार पात्रता (सेवा अवधि वांछित ओरिएंटेशन /रिफ्रेशर कोर्स) पूर्ण करते हो उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र मय निर्धारित प्रक्रिया की आयुक्तालय को निर्धारित समय पर भिजवायें।

3–प्राप्त आवेदन पत्रों पर नोडल महाविद्यालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीः–

(अ) नोडल महाविद्यालय की आंतरिक गुणवत्ता मूल्यांकन कमेटी IQAC कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ1(06)DOP/A-II/84 दिनांक 31.01.2018 के अनुसार ए.पी.आई स्कोर

की गणना कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र मे भरकर प्राप्त आवेदन पत्रों को दिनांक 25.11.2020 (बुधवार) तक आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

(ब) दिनांक 01.04.2018 , 01.04.2019 , 01.04.2020 तक आचार्य पद के पात्र आवेदको से आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया सम्पादित करते हुए आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक आयुक्तालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

(स) आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा उस पर IQAC द्वारा स्कोर के अंकन के पश्चात् आयुक्तालय को प्रेषित की गई आवेदन पत्र की कार्यालय प्रति (एक प्रति) संबंधित आवेदक की निजी पत्रावली मे नत्थी करने हेतु संबंधित महाविद्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

(द) अपूर्ण आवेदन पत्र आयुक्तालय को प्रेषित नही किए जावें। अपूर्ण आवेदन पत्र पर आयुक्तालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी। जिसके लिए प्राचार्य व्यक्तिगत जिम्मेदार होगें।

27/10/2020

(संदेश नायक)
आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा राजस्थान

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित व्याख्याता को सूचित करे।
3. वेबसाईट प्रभारी—कृप्या विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
4. रक्षित पत्रावली।

27/10/2020

(आर.सी.मीना)

संयुक्त निदेशक (एचआरडी)

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।